TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) DATED June 16, 1993

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

TCC

New Delhi, the 16th June, 1993

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(a) in rule 28, sub-rule (3) shall be omitted;

(b) in rule 28AA, in sub-rule (1), in clause (i), the words, brackets and figure "or sub-rule (3)" shall be omitted;

(c) in rule 29, in sub-rule (1), -

(i) in the opening portion, for the words beginning with "The Assessing Officer" and ending with the word "namely:", the following shall be substituted, namely:-

"The Assessing Officer, on being satisfied that the total income of the shareholder justifies the deduction of income-tax at any lower rates or no deduction of income tax, as the case may be, shall, on an application made under sub-rule (1) of rule 28 by the assessee, give him a certificate authorising the payment of a dividend to him, under sub-section (1) of section 197, without deduction of tax or, as the case may be, after deduction of tax at rates lower than the rates in force only if the following conditions are

....2/-

satisfied, namely:";

(ii) in clause , the words, brackets and figure "or sub-rule as the case may be," shall be omitted;

(d) in rule 30,-

(i) in sub-rule),-

(1) in the ening portion, for the words, figures and letter "and section 196C", the words, figures and letters", section 196C and section 196D" shall be substituted;

(2) in clause (b), in sub-clause (i),-

(A) in the opening portion, for the words, figures and letter "and section 196C", the words, figures and letters ", section 196C and section 196D" shall be substituted;

(B) in item (1), after the word, figures and letter "section 196C", the words, figures and letter "or the income of Foreign Institutional Investors from securities referred to in section 196D" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), for the word, figures and letter "and 196C", the figures, letters and word ", 196C and 196D" shall be substituted;

(e) in rule 31,-

(i) in sub-rule (1), in clause (b), for the words, letters and figure "and 196C", the words, letters and figures ", section 196C and section 196D" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), in the first proviso, after the word, figures and letter "section 196C", the words, figures and letter "or the income of Foreign Institutional Investors from securities referred to in section 196D", shall be inserted;

(f) in rule 37A,-

(i) for the word, figures and letter "and 196C", the word, figures and letters ", 196C and 196D" shall be substituted;

(ii) in the proviso, after the word, figures and letter "section 196C", the words, figures and letter "or the income of Foreign Institutional Investors from securities referred to in section 196D", shall be inserted;

(g) in Appendix II,-

(i) Form No.14 shall be omitted;

(ii) in Form No.15,-

(a) in the heading, the words and figures "the second proviso to section 194 and/or" shall be omitted;

(b) at the end, the notes shall be omitted;

(iii) in Form No.16A, after the heading, in the opening portion, after the word, figures and letter "section 196C", the words, figures and letter "; income of Foreign Institutional Investors from securities referred to in section 196D", shall be inserted;

(iv) in Form No.26, in column 5, in item (i), for the words and figures "the second proviso to section 194", the following word, figures and brackets shall be substituted, namely:-

"section 197(1)".

Sunil Chopra

(SUNIL CHOPRA)
DIRECTOR (TPL)

F.No.142/13/93-TPL
No. 9312

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii)
तारीख 16 जून 1993 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 16 जून, 1993

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. (अ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 1993 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) नियम 28 के उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 28कक में, उपनियम (1) के खण्ड (i) में, ' या उपनियम (3) ' शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ग) नियम 29 के, उपनियम (1) में, -

(i) ~~प्रारम्भिक-भाग-में,~~ ' निर्धारण अधिकारी ' शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और ' अर्थात् '

शब्द के साथ समाप्त होने वाले प्रारम्भिक भाग में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" निर्धारण अधिकारी " अपना यह समाधान हो जाने पर कि शेयरधारक की कुल आय यथास्थिति, आय-कर की कटौती निम्न तर दरों पर करना या आय-कर की कटौती न करना न्यायोचित ठहराता है, निर्धारिती द्वारा नियम 28 के उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन पर, धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन उसको लाभांश का संदाय प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कर की कटौती किए बिना या प्रवृत्त दरों से निम्न तर दरों पर कर की कटौती करने के तभी पश्चात् देगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :" ;

(ii) खण्ड (ख) में " यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(घ) नियम 30 में, -

(i) उपनियम (1) में, -

(1) " और धारा 196ग " शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर " धारा 196 ग और धारा 196घ शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(2) खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में, -

(क) प्रारम्भिक भाग में " और धारा 196ग "

शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर " धारा 196ग और धारा 196घ " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) मद (1) में, " धारा 196ग में निर्दिष्ट भारतीय कम्पनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय " शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् " या धारा 196घ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय " शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) में, " और 196ग " शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर " धारा 196ग और धारा 196घ " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) नियम 31 में, -

(i) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में " और 196ग " शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर " धारा 196ग और धारा 196घ " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) के पहले परन्तुक में " धारा 196ग में निर्दिष्ट भारतीय कम्पनी के विदेशी करेंसी बन्धपत्रों या शेयरों से आय " शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् " या धारा 196घ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय " शब्द, अंक और अक्षर अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(च) नियम 37क में, -

(i) " और 196ग " शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान

पर " 196ग और 196घ " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में, " धारा 196ग ~~के अधीन~~ में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी के विदेशी " शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् " या धारा 196घ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय " शब्दों, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय

(ख) परिशिष्ट II में, -

(i) प्ररूप संख्या 14 का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्ररूप संख्या 15 में, -

(क) शीर्षक में, " धारा 194 के द्वितीय परन्तुक और/या " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) अन्त में, टिप्पणी का लोप किया जाएगा ;

(iii) प्ररूप संख्या 16क में, शीर्षक के पश्चात् प्रारम्भिक भाग में, " धारा 196ग ~~के अधीन~~ में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी के विदेशी " शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् धारा 196घ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय " शब्द, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय

(iv) प्ररूप संख्या 26 में, स्तम्भ 5 की मद (i) में, "धारा 194 के द्वितीय परन्तुक " शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और

कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

" धारा 197(1) " ।

सुनील चोपड़ा

(सुनील चोपड़ा)
निदेशक (टीपीएल)

संख्या: 9312

फा.सं० 142/13/93-टीपीएल